राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –42/2020

(अपील संख्या–833/2011)

हरि नारायण रैगर –प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुनील कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री बिरदी चन्द, अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री अजय कुमार माथुर, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रिक डिविजन, जयपुर।
4. श्री दीपक मित्तल, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रिक डिविजन–III जयपुर।
5. मनीषा बंसल, सहायक अभियंता, इलेक्ट्रिक सब डिविजन–V, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : **18.02.2025**

<u>उपस्थित :–</u>

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री इमरान खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– **विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या 1620/2020 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.03.2020 पारित कर इस अधिकरण के आदेश की कियान्विति को स्थगित रखा था। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.03.2020 की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाये। चूंकि इस अवमानना याचिका में जिस आदेश की अवमानना किया जाना अपीलार्थी ने बताया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय

ने स्थगित रखा है। ऐसे में अवमानना याचिका में अब कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

3. अतः यह अवमानना याचिका इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होने पर अथवा स्थगन आदेश पर निरस्त किये जाने की स्थिति में पुनः नये सिरे से अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा अथवा इसी अवमानना याचिका को पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना कर सकेगा। अवमानना याचिका फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)